तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021 सैयदा मुनव्वर बनाम सईदुररहमान अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 1955
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। विस्तृत आदेश प्रथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021

1– सैययदा मुनव्वर पत्नी स्व0 अब्दुल राफे
2– सैययद मोहम्मद नवेद पुत्र स्व0 अब्दुल राफे
3– सैययद मोहम्मद जुनैद पुत्र स्व0 अब्दुल राफे
समस्त जाति मुस्लमान निवासी 6/242 हबीब मंजिल, खादिम मौहल्ला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1– सईदुररहमान पुत्र स्व0 अब्दुल नाफे जाति मुसलमान निवासी जरिये एस.एम.यासिर रहमान, बी. ब्लॉक, 8/8 सराय खलील, ईदगाह रोड, दिल्ली– 110006 (6/242, हबीब मंजील, चाह अरहट मस्जिद के पास, खादिम मौहल्ला, अजमेर–305001)

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955

समक्ष
श्रीमति तारामति वैष्णव आर0ए0एस

उपस्थितः–

1–	श्री अभिषेक शर्मा	अभिभाषक प्रार्थी
2–	श्री आशीष जैन	अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3–	श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 14.09.2021

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसके साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27–03–00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टयर कायम किये गये है उक्त भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 20–11–10 स्थित है जिसके नये खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर तथा 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टयर कायम किये गये है। उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे बटवारे के उपरान्त उनके हिस्से मे आई भूमि के अनुसार बतौर खातेदार काश्त करते रहे है स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 798 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य हिस्सा व अधिकार इस भूमि मे नही है ना ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल की गई है ना ही उक्त भूमि का कब्जा आज तक किसी अन्य व्यक्ति के पास रहा है। वर्षो से प्रार्थीगण [illegible] अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक भूमि का उपयोग व [illegible] करते आ रहे है, परन्तु साबिक नक्शा वर्ष 1970 से 1971 के उपरान्त बने नये नक्शा वर्ष 1983 से 19[illegible] मे बदलाव हो जाने के कारण हाल प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका जो न्यायालय मे विचाराधीन है परन्तु नये नक्शे मे हुई त्रुटि का अनुचित फायदा उठाने की मंशा से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से भूमि पर दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने लगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से मौखिक निवेदन किया कि आप हमारे खातेदारी की भूमि मे कब्जा नही करे ना ही

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किसी प्रकार हमारी खातेदारी की भूमि मे दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान ने साफ तोर पर कह दिया कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज नही है तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नही है तुम यंहा से भांग जाओ। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के यंहा नक्शा दुरूस्तगी का प्रकरण विचाराधीन है जो न्यायालय तय करेगा उसको हम मानेगें। लेकिन उसने साफ तोर पर कह दिया कि हमारी जमीन ज्यादा है तुम्हारी कम है ओर नये नक्शे के अनुसार हम तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगे ओर अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन मे मिलाकर बैचान कर देगे। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से निवेदन किया कि आप हमारी जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार कब्जा नही करेगे तो भी अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तदार लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये एंव प्रार्थी संख्या 2 व 3 को धमकी दी की तुम यंहा से चले जाओ अन्यथा हम तुम्हे मार पीट कर भगा देगे मौके पर झगडे की स्थिति को दखते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपनी जान बचाकर भाग आये। अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तदार व नौकर के साथ अन्य लोग भी डंडे व लाठी लिये हुए खडे थे तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को मारने एंव लडाई झगडा करने पर आमादा थे प्रार्थी संख्या 1 बेवा वृद्व महिला है जिसकी जमीन हडपने की नियत से समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा की जा रही है। पूर्व मे भी मार्च 2021 मे अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र तथा रिश्तेदारान के संग मौके पर आ गये तथा प्रार्थीगण के पूर्वज के मना करने पर भी प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने लगा एंव मना करने पर भी प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे से भी लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गये, उसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देश पर अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त उसके रिश्तेदार व नौकर मौके पर आकर गलत नक्शे का हवाला देते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ लडाई झगडा नही करे न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है उसमे जो निर्णय होगा वह हमे मान्य होगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदार ने कंहा की अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि बैचनी है ओर वे भूमि नये नक्शे के अनुसार ही बैचान करेगे, अगर उसने तुम्हारी भूमि कम होती है तो उसमे हमे कुछ लेना देना नही है हम तुम्हारी भूमि को भी अपनी भूमि मे मिलाकर बैचान कर देगे तथा तुम्हे बेदखल करेगें। अन्त मे प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योकि खसरा संख्या 798 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार [illegible] है [illegible] मन चाहा उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषे[illegible] नही किया गया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर कु[illegible] भूमि मे उनके पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्[illegible] काबिज काश्[illegible] आ रहे है। यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि का बैचान किया [illegible] कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे किया जाना [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने 16.07.2021 को अपना जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कथन कि प्रार्थीगण को

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रकरण मे सफलता मिलना व्यर्थ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध मे तथ्य स्वंय साबित करे। चरण संख्या 3 से 10 गलत होने से अस्वीकार किया गया है तथा बिन्दु संख्या 10 व 11 न्यायालय से सम्बन्धित होने का उल्लेख अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाब मे अंकित अतिरिक्त कथन अंकित कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 रा0भू0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की स्टेज का अनुतोष नही मिला है तथा यंहा प्रार्थी असफल होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद प्रसतुत किया गया है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी एक तरफ तो उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष धारा 131 भू0रा0अधि0 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वही दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे वाद कारण नक्शे मे त्रुटि होना अंकित किया गया है। मननीय न्यायालय ने इस बात पर गोर नही किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष नही आने के कारण चलने योग्य नही है लिहाजा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र गलत होकर काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे जिस आराजी का उल्लेख अंकित किया गया है उसके खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टयर दोनो खसरा नम्बरान अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है इस कारण एक खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से न्यायालय के द्वारा पाबन्द नही किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास पूर्ण किया है प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया गया है। नक्शे मे परिवर्तन का क्षैत्राधिकार अधिनियम की धारा 88, 188 मे अंकित नही किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही है जिस नक्शे को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वे नक्शा सन 1983–84 का होना दर्शाया गया है उक्त प्रकरण 37–38 वर्षो के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रार्थीगण के द्वारा कोई समुचित कारण अंकित नही किया गया है उक्त कारण से दिया गया अन्तरिम आदेश गलत है। प्रार्थी द्वारा नक्शे मे परिवर्तन के आधार पर दखलन्दाजी के बाबत धारा 131 भू0राअधि0 प्रार्थना पत्र तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उकत दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे उनके द्वारा किसी भी भूमि की सीमाओ के बारे मे उल्लेख अंकित नही किया गया है। मात्र कल्पनाओ के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। धारा 131 भू0रा0अधि0 के [illegible] का प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि किसी तरह की देरी करने की मंशा हमारी नही रही है प्रार्थी द्वारा इन तथ्यो [illegible] जानकारी छुपाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है लिहाजा प्रस्तुत [illegible] पत्र मे अंकित तथ्य गलत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की उम्र लगभग 75 वर्ष है [illegible] एक वयोवृद्व व्यक्ति है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व वाद मे वाद कारण अंकित किया गया है। उस दिवस को अप्रार्थी अजमेर मे नही होकर अजमेर से बाहर गये हुए थे, परन्तु मनगढन्त कहानी के आधार पर प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति मे चलने योग्य नही होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र पर मे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष कतई प्रतीत नही होता है। अन्त मे प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन

सहायक कलेक्टर मुख्यालय अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया। अप्रार्थी के अभिभाषक के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी अभिभाषक के द्वारा अपने तत्यो एंव बहस के समर्थन मे 2013 आर0आर0टी0(1) पेज 123, 183, 2016 आर0आर0टी0पार्ट (2) पेज 1823, 2016 आर0जी0जे0 पेज 245, 2012 आर0बी0जे0 05, 2016 आर0बी0जे0 पेज 144, 1985 आर0आर0डी0 पेज 30 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित है जिसमे राजहित निहित नही है। अतः जवाब की आवश्यकता नही है, उनके निवेदन अनुसार राजस्थान सरकार का जवाब दिनांक 31.08.2021 को बन्द किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने स्वंय निवेदन किया कि राजस्थान सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है तथा उद्‌घोषणा के वाद मे भूमिधारी होने के कारण पक्षकार मुर्तिब किया गया है।

उक्त जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा दिनांक 31.8.2021 को प्रकरण मे अन्तिम बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसके साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27–03–00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टयर कायम किये गये है उक्त भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 20–11–10 स्थित है जिसके नये खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर तथा 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टयर कायम किये गये है उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे बटवारे के उपरान्त उनके हिस्से मे आई भूमि के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार करते आ रहे है तथा स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 798 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य हिस्सा व अधिकार नही है ना ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल ही की गई है ना ही उक्त भूमि का कब्जा आज तक किसी नये व्यक्ति के पास रहा है। वर्षो से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। परन्तु साबिक नक्शा वर्ष 1970 से 1971 के उपरान्त बने नये नक्शे वर्ष 1983 से 1984 मे बदलाव हो जाने के कारण हाल प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका [illegible] प्रकरण विचा[illegible] परन्तु नये नक्शे मे हुई त्रुटि का अनुचित फायदा उठाने की मंशा से वे प्रार्थीगण की [illegible] व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी [illegible] व उनके जानकार रिस्तेदार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि [illegible] व मदाखलत [illegible] लगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से [illegible] निवेदन किया कि आप हमारे खातेदारी की भूमि मे कब्जा नही करे ना ही किसी प्रकार हमारी खातेदारी की भूमि मे दखल[illegible] व मदाखलत उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। अप्रार्थी संख्या 1के नौकर व रिश्तेदारान ने साफ तोर पर कह दिया कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज नही है तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नही है तुम यंहा से भांग जाओ। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान ने कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के यंहा नक्शा दुरूस्तगी का प्रकरण विचाराधीन है जो न्यायालय तय करेगा उसको हम

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

सहा० कलेक्टर (मु०) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जानेगें। परन्तु उसने साफ तोर पर कह दिया कि हमारी जमीन ज्यादा है तुम्हारी कम है ओर नये नक्शे के अनुसार हम तो जमीन पर कब्जा करेगे तथा अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन से मिलाकर बैचान कर देगे। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 नौकर व रिश्तेदारान से निवेदन किया कि आप हमारी जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार कब्जा नही करेगे तो भी अप्रार्थी संख्या 1 नौकर व रिश्तदार लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को धमकी दी की तुम यंहा से चले जाओ अन्यथा हम तुम को मार पीट कर भगा देगे मौके पर झगडे की स्थिति को दखते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपनी जान बचाकर भाग आये। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तदार व नौकर के साथ अन्य लोग भी डंडे व लाठी लिये हुए खडे थे तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को मारने तथा लडाई झगडा करने पर आमादा थे, प्रार्थी संख्या 1 बेवा वृद्व महिला है जिसकी जमीन हडपने की नियत से समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा की जा रही है। पूर्व मे भी मार्च 2021 मे अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र तथा रिश्तेदारान के संग मौके पर आ गये तथा प्रार्थीगण के पूर्वज के मना करने पर भी प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने लगा एंव मना करने पर भी प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे से भी लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गये, उसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देश पर अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त उसके रिश्तेदार व नौकर मौके पर आकर गलत नक्शे का हवाला देते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ लडाई झगडा नही करे न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है उसमे जो निर्णय होगा वह हमे मान्य होगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदार ने कंहा की अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि बैचनी है ओर वे भूमि नये नक्शे के अनुसार ही बैचान करेगे। अगर उसमे तुम्हारी भूमि कम होती है तो उसमे हमे कुछ लेना देना नही है हम तुम्हारी भूमि को भी अपनी भूमि से मिलाकर बैचान कर देगे तथा तुम्हे बेदखल करेगें। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योकि खसरा संख्या 798 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि का मन चाहा उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा, क्योकि प्रार्थीगण उक्त भूमि मे उनके पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त बतौर मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे किया जाना संभव नही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे 2019 आरबीजे पेज 129, 551, 2020 आरबीजे पेज 82,726, नजीरे प्रस्तुत की गई।

जवाब मे अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक के द्वारा जवाब मे अंकित [illegible] एव अतिरिक्त कथन मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 रा0भू0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की स्टेज का अनुतोष नही मिला है तथा यहा प्रार्थी असफल होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार उत्पन्न नही होते है। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा एक तरफ तो उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष धारा 131 भू0रा0अधि0 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

सहा० कलेक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with CamScanner

उसमे वाद कारण नक्शे मे त्रुटि होना अंकित किया गया है। माननीय न्यायालय मे इस बात पर गौर नही किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो क्लीन हेन्ड से न्यायालय के समक्ष नही आने के कारण चलने योग्य नही है लिहाजा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र गलत होकर काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे जिस आराजी का उल्लेख अंकित किया गया है उसके खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टयर दोनो खसरा नम्बरान अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमि है इस कारण एक रिकार्डेड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से न्यायालय के द्वारा पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा मात्र नक्शे के आधार पर वाद कारण अंकित किया गया है उसके लिए पहले तो प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय मे धारा 131 रा0भू0रा0अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रकरण परीक्षण न्यायालय मे विचाराधीन है दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत जो अनुतोष चाहा गया है उसमे भी उक्त वाद कारण नक्शे मे परिवर्तन के आधार पर होना बताया गया है जो कि सरासर गलत है लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह करने कर का पूर्ण प्रयास किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया गया है। नक्शे मे परिवर्तन का क्षैत्राधिकार अधिनियम की धारा 88, 188 मे अंकित नही किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही है जिस नक्शे को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वे नक्शा सन 1983–84 का होना दर्शाया गया है उक्त प्रकरण 37–38 वर्षो के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रार्थीगण के द्वारा कोई समुचित कारण अंकित नही किया गया है उक्त कारण से दिया गया अन्तरिम आदेश गलत है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शे मे परिवर्तन के आधार पर दखलन्दाजी के बाबत धारा 131 भू0रा0अधि0 प्रार्थना पत्र तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियन के तहत उकत दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे उनके द्वारा किसी भी भूमि की सीमाओ के बारे मे उल्लेख अंकित नही किया गया है। मात्र कल्पनाओ के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। धारा 131 भू0रा0अधि0 के आवेदन पत्र का प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी तरह की देरी करने की मंशा हमारी नही रही है प्रार्थी द्वारा इन तथ्यो की जानकारी छुपाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य गलत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की उम्र लगभग 75 वर्ष है जो कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व वाद मे वाद कारण अंकित किया गया [illegible] होकर अजमेर से बाहर गये हुए थे, जिससे मनगढन्त कहानी के आधार पर प्रार्थना [illegible] स्थिति मे चलने योग्य नही होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना प[illegible] घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एंव [illegible] के हित प्रार्थीगण के प[illegible] प्रतीत नही होता है, अन्त मे अप्रार्थीणि के विद्वान अभिभाषक [illegible] निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

हमने उभय अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को निम्नांकित तीन आवश्यक बिन्दुओ पर विनिश्चिय किया जाना है–

1–प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का सन्तुलन

2–कब्जा

सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with CamScanner

3–अपूर्तनीय क्षति

प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन :–

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार जमाबन्दी संवत 2041 मे खसरा संख्या 797 रकबा 20–11–00 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जिसके प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 मे अंकित तथ्यो के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर तथा 1161/1869 रकबा 0.50हैक्टयर कायम किया जाना अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि साबिक एंव हाल रकबे मे कोई अन्तर नही है। इसी प्रकार वर्किंग खसरा संख्या 798 रकबा 27–03–00 प्रार्थीगण के पूर्वज अब्दुल राफे की खातेदारी मे दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41हैक्टयर बनाये गये है। जो हाल जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है तथा साबिक एंव हाल रकबा मे कोई अन्तर दर्शित नही है। जिससे स्पष्ट है कि वर्किंग जमाबन्दी एंव आधार जमाबन्दी मे दोनो पक्षकारान के नाम खातेदारी एंव रकबे मे कोई अन्तर नही है। जिससे दोनो पक्षकारान अपने अपने नाम दर्ज खातेदारी की भूमियो पर जमाबन्दी मे दर्ज रकबो के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । लेकिन पत्रावली पर पस्तुत साबिक एंव हाल नक्शा ट्रेस मे विराधाभास दृष्टिगोचर होता है। प्रार्थीगण की भूमि साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले हाल नक्शा ट्रेस मे कम रकबा दर्शित होना स्पष्ट है वही अप्रार्थी की भूमि साबिक नक्शा ट्रेस के मकाबले हाल नक्शा ट्रेस मे बेशी रकबा दर्शित होता है। उभय पक्षकारान के मध्य उक्त वाद का मूल कारण बन्दोबस्त विभाग के द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे मे किया गया परिर्वतन ही प्रतीत होता है जबकि साबिक एंव हाल जमाबन्दी मे रकबा यथावत दर्ज है। लेकिन अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि नक्शा ट्रेस हाल मे बेशी दर्शा देने के कारण ही अप्रार्थी द्वारा उक्त अधिक दर्शित रकबे को अवैधानिक रूप से प्राप्त करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 भू0रा0अधि0 एंव मौके पर जमाबन्दी मे दर्ज रकबे को विधिक रूप से सुरक्षित करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल नक्शा ट्रेस मे कारित त्रुटि के कारण किसी पक्षकार का अहित होता है तो उसके काश्तकारी स्वत्वो की रक्षा किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथम दृष्या प्रकरण एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे निहित करता है।

2– कब्जा :–

पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र मे उभय पक्षो के द्वारा अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण जमाबन्दी मे दर्ज रकबो के अनुसार अपनी अपनी [illegible] भूमियो पर काबिज काश्त होना स्वीकार किया गया है एंव बन्दोबस्त से पूर्व [illegible] उपरान्त [illegible] जमाबन्दियो मे दोनो पक्षकारान की खातेदारी मे दर्ज भूमियो [illegible] नहीं है [illegible] उभय पक्षकारान जमाबन्दी मे दर्ज रकबो के अनुसार ही काबिज होना प्रतीत होता है। वर्तमान [illegible] ट्रेस मे अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि का रकबा बेशी दर्शित किया प्रतीत होता है लेकिन कब्जा काश्त उक्त बेशी रकबे पर सिद्व नही किया गया है बल्कि जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के अनुसार ही काबिज प्रतीत होते है।

3– अपूर्तनीय क्षतिः–

बन्दोबस्त विभाग के द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीगण के पूर्वज एंव अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे मे साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले बदलाव किया जाना प्रार्थीगण द्वारा अंकित किया गया है एंव प्रार्थीगण के द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त बदलाव के कारण अप्रार्थी

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एंव प्रार्थीगण की भूमि को सम्मिलित करते हुए बैचान करने पर आमादा है ऐसी स्थिति मे यदि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस मे किये गये परिर्वतन के कारण यदि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न की जाती है तथा रहन बैचान मुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति कारित होना स्पष्ट है। जिससे अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे निहित करता है।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोन किया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है ग्राम गेगल स्थित भूमि साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27–03–00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टयर कायम किये गये है पर उभय पक्ष को वर्तमान मौके एंव कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने हुत ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया एंव मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

सहायक कलेक्टर मुख्यालय अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.17 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner